प्रतिशत तथा अन्य 4 वर्षों में 21-21 प्रतिशत गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। इस योजना में दो प्रकार के सहायतित परिवार होंगे। प्रथम व्यक्तिगत जिसे 'स्वरोजगारी' कहा जाता है। दूसरा 10 से लेकर 20 व्यक्तियों का समूह जिसे 'स्वयं सहायता समूह' के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक सहायतित परिवार को 3 वर्ष की अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर उन्हें इस योग्य बनाना है कि वह प्रति माह 2000-00 रुपये की आय कर सकें।

इस योजना में समूह पद्धति पर बल दिया गया है। इस योजना में ऋण मुख्यतया अनुदान एक छोटा एवं सामर्थ्य प्रदान करने वाला घटक है। इस योजना में अवस्थापना निधि, प्रशिक्षण निधि एवं रिवाल्विंग फण्ड है, जिसमे क्रमशः वार्षिक परिव्यय का 20, 10, 10 प्रतिशत व्यय किया जाना है। शेष 60 प्रतिशत धनराशि अनुदान मद पर व्यय किया जाता है।

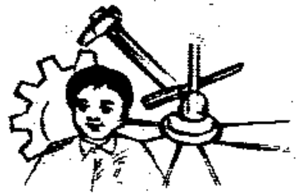

पात्रता : ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्डों द्वारा गत वर्ष गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसे बी०पी०एल० सर्वेक्षण नाम से जाना जाता है। उक्त सूची में अंकित व्यक्ति ही इस योजना के पात्र होंगे। स्वरोजगारी के रूप में महिला, अथवा पुरुष हो सकते हैं, किन्तु प्रत्येक बी०पी०एल० परिवार से एक ही व्यक्ति इस योजना में लिया जायेगा।

स्वरोजगारी का चयन : स्वरोजगारी का चयन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक तथा सम्बन्धित ग्राम के प्रधान की एक समिति द्वारा गाँव में भ्रमण करके किया जायेगा।

स्वयं सहायता समूह : यह 10 से 20 पुरुष अथवा महिला अथवा दोनों वर्गों का मिला-जुला समूह होता है, किन्तु विकलांगों एवं लघु सिंचाई कार्यक्रमों हेतु मात्र 5 व्यक्तियों का समूह होता है, जिसे स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। वास्तव में इसका उद्देश्य यही है कि उक्त समूह के व्यक्ति आपस में इस प्रकार का ताल-मेल बैठाकर एक समूह बनायें और स्वयं कार्य करने में रूचि एवं क्षमता प्रदर्शित करते हुए समूह के संचालन के लिए अपनी नियमावली बना लिए हों तथा बैंक खाता खोल लिये हों और उससे छोटे-मोटे कार्य कर धनराशि जमा करना और निकालना प्रारम्भ कर लिये हों। समूह के नियमित रूप से गठन के पश्चात् लाइन डिपार्टमेन्ट द्वारा उनके न्यूनतम कौशल आवश्यकता का आंकलन किया जायेगा और यदि देखा जाता है कि उनके पास पर्याप्त कौशल नहीं है तो उन्हें 2 दिन का मौलिक अभिनवीकरण प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें उन्हें योजना का उद्देश्य, उनकी जिम्मेदारियाँ, अन्य व्यावहारिक पहलू, लेखों का रख-रखाव, बाजार की जानकारी, वस्तु की लागत एवं उसका मूल्य तथा बैंकों से वित्तीय सहायता के बारे में उन्हें बताया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण बैंकर्स, खण्ड विकास अधिकारी, कार्यदायी विभाग (लाईन डिपार्टमेन्ट) के अधिकारी, क्षेत्रीय/ग्राम्य विकास संस्थान के अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा।

दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक स्वरोजगारी को ब्लाक अथवा गाँव के निकट स्थान पर प्रशिक्षण दिया जायेगा और उन्हें एक बार आने-जाने का द्वितीय श्रेणी का किराया दिया जायेगा तथा प्रशिक्षण के दो दिनों हेतु 100-00 रुपये की धनराशि का भोजन एवं चाय-पान प्रति स्वरोजगारी को एवं 20 रुपये की धनराशि की लेखन सामग्री तथा अन्य साहित्य उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण पर प्रति वार्ताकार द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों हेतु 50-00 रुपये, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए 100-00 रुपये तथा गैर सरकारी प्रशिक्षक हेतु 150-00 रुपये मानदेय दिया जायेगा।

यदि किसी स्वरोजगारी को अतिरिक्त कौशल विकास की आवश्यकता हो तो पालिटैकनिक, आई०टी०आई०, विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान अथवा उच्च ख्याति के गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जायेगा। एक सप्ताह से अधिक के प्रशिक्षण हेतु यह जानकारी करनी पड़ेगी कि कितनी अवधि के प्रशिक्षण की आवश्यकता है और तद्नुसार क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जायेगा, का निर्धारण सम्बन्धित लाईन डिपार्टमेन्ट द्वारा किया जायेगा और इस कार्य हेतु स्वरोजगारी को बैंक द्वारा सॉफ्ट लोन (ऋण) दिया जायेगा।

रिवाल्विंग फण्ड: स्वयं सहायता समूह जो कम से कम 6 माह से अस्तित्व में हो, तथा जिन्होंने आर्थिक रूप से लाभकारी होने की क्षमता प्रदर्शित की हो, को कैश क्रेडिट के रूप में रु० 25000-00 रिवाल्विंग फण्ड के रूप में दिया जायेगा। बैंक द्वारा केवल उस धनराशि का ब्याज लिया जायेगा, जो मु०-10,000-00 से अधिक होगी। इस योजना की समीक्षा हेतु जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी तथा ब्लाक स्तर पर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो इस कार्यक्रम की मासिक समीक्षा करेगी।

अनुदान : अनुदान एक छोटा तथा सामर्थ्य प्रदान करने वाला घटक है। इसमें अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराने पर बल दिया